दिनांक	आज्ञा पत्र
18/11/3	पत्रावली पेश। अधि. उपस्थित हाजिर। अधि. अप्रार्थी द्वारा जवाब दे अवसर चाहा गया। पूर्व में कालि अवसर दिये जा चुके हैं, जवाब दंड किया जाता है। पक्ष अधिवक्ता उपस्थित मूल आवेदन पर सुनी गई। पक्षगण मुकामिक आवेदन सहित तथा अधि. अप्रार्थी द्वारा आवेदन के तथ्यों का खण्डन किया गया। पक्षगण सुने गये एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में विवादित भूमि पर प्रार्थीगण के हित निहित है तथा विवादित भूमि के मौके व रिकार्ड की स्थिति में परिवर्तन करने पर प्रार्थीगण के हित प्रभावित हो सकते है अतः अप्रार्थीगण को विवादित भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत पाबंद किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण को स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को पूर्ण अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित भूमि ख.नं. 454/2 रकबा 0.03 हैक्टेयर ग्राम बाजोर तहसील नजिमाबाद सीकर की भूमि पर तहसीलदार वाद संख्या 296/2014 मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली कैनल कुमार होकर नाखारिज की जाने योग्य है, खारिज दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर